हैं और प्रत्येक संगठन को कितने-कितने पास दिए गए हैं ;

(घ) क्या गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों को भी ये पास जारी किये गए हैं और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ङ) गृह मंत्रालय उन संगठनों को मान्यता देता है जिनका कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर का होता है तो फिर मान्यता प्राप्त संगठनों को यह सुविधा किस आधार पर दी गई है; और

(च) क्या अनुसूचित जाति के संगठनों को निकट भविष्य में कम्पलीमेंटरी पास जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बो० ए० गनी खां चौधरी) : (क) से (च) सूचना इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डी० टी० सी० कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता और नये वेतनमान

5455. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी अन्तरिम सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार के सुझाव पर डी० टी० सी० के कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान लागू किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के ऐसे कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के भुगतान का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनके वेतनमान 1.6.83 से संशोधित किए गए हैं। निगम के जिन अधिकारियों के वेतनमान को संशोधित नहीं किया गया है, उनको देय अन्तरिम सहायता का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन में संशोधन करने के बारे में सिफारिश करने के लिए जो कार्यदल नियुक्त किया गया था उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में सरकार के निर्णय के अनुसार 1.6.1983 से कर्मचारियों को नया वेतनमान दे दिया गया है। इन सिफारिशों पर कार्यान्वियन के समय कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आने तक भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत अन्तरिम सहायता को या संशोधित वेतनमानों को जो चार वर्षों तक लागू रहेंगे या चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट को, इनमें से जो भी पहले हो उसे स्वीकार कर सकते हैं।

करोंडा स्टेशन पर दादर अमृतसर एक्सप्रेस को रोकना

5456. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार करोंडा स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर दादर-अमृतसर एक्सप्रेस को रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बो० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात औचित्य न होने के कारण।